



Office: Gola Ka Mandir, Residency Road, Gwalior – 474005, **Phone:** Office- 0751-2365523,2368107 **Fax:** 0751-2366981

Plant: Industrial Area, Banmore, Distt. Morena (M.P.) **email:** gwaliordairy@gmail.com

कंमाक /

/ कय / ग्वादुस / ग्वालियर / 2022

दिनाक

टैंकर से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को न्यू डेयरी संयंत्र बानमोर से अंतरराज्यीय दुग्ध परिवहन हेतु इन्सूलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। टैंकरों को किराये पर लगाने हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर दिनांक 11.05.2022 को समय 11.30 बजे से अपनी निविदा दरें प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नियम तिथि एवं समय पर खोली जावेगी। निविदा शर्तों में परिवहन केवल वेब-साईट पर ही सूचित किया जायेगा। अतः समस्त निविदाकार वेब-साईट का लगातार अवलोकन करते रहे। निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 50000/- (पचास हजार रूपये) जमा करना अनिवार्य है। शर्तों का विस्तृत विवरण www.sanchidairy.com पर मात्र पाठन के लिये उपलब्ध है। एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पास निहित रहेगा।

परिवहन हेतु लगाये जाने वाले टैंकरों की क्षमता	निविदा शुल्क	प्रतिभूति राशि (रु.)	ऑनलाईन निविदा अपलोड की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि एवं समय
20000 कि.ग्रा. 25000 कि.ग्रा.	1000/-	50000.00	19.05.2022 02.00 बजे तक	20.05.2022 03.00 बजे तक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



Office: Gola Ka Mandir, Residency Road, Gwalior – 474005, **Phone:** Office- 0751-2365523,2368107 **Fax:** 0751-2366981
Plant: Industrial Area, Banmore, Distt. Morena (M.P.) **email:** gwaliodairy@gmail.com

निविदा दस्तावेज

ई-निविदा बाबत	ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा संयंत्र कार्य हेतु अंतरराज्तीय दुग्ध परिवहन हेतु इन्सूलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना।
शेड्यूल – 1	कार्य का विवरण एवं रोड मिल्क टैंकर की आवश्यकता संबंधी विवरण
शेड्यूल – 2	सामान्य शर्तें एवं निविदा
शेड्यूल – 3	अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्तें
शेड्यूल – 4	तकनीकी विवरण
शेड्यूल – 5	दर प्रस्तुतीकरण पत्रक (टोल टैक्स सहित)
प्रतिभूर्ति राशि	रु. 50000.00
निविदा शुल्क रूपये	रु. 1000.00
ऑनलाईन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	19.05.2022 दोपहर 02.00 बजे तक
निविदा खोलने का समय एवं तिथि	20.05.2022 दोपहर 03.00 बजे तक
तकनीकी दस्तावेजों	तकनीकी दस्तावेज केवल ऑनलाईन अपलोड ही किया जाना है। भौतिक रूप से मान्य नहीं किये जावेंगे।
पत्राचार हेतु कार्यालय का पता	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित कार्यालय गोला का मंदिर ग्वालियर – 474005 (म.प्र.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



शेड्यूल – 1

ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा संयंत्र कार्य हेतु अंतरराज्तीय दुग्ध परिवहन हेतु इन्सूलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिहवनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना।

निविदा स्वीकृत होन पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय टोल टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के खर्चे परिवहनकर्ताओं को करने होंगे। अतः निविदाकारों द्वारा टैंक संचालन में लगाने वाले सभी व्ययों को समावेश कर रोड मिल्क टैंकर्स की क्षमता अनुरूप किराये पर लगाने हेतु केवल प्रति किलोमीटर चालन की ही दरें ऑनलाईन प्रस्तुत की जाये।

रोडमिल्क टैंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रमांक	टैंकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित माँग (संख्या)
1	20000 कि.ग्रा. 25000 कि.ग्रा.	ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा संयंत्र कार्य हेतु अंतरराज्तीय दुग्ध परिवहन हेतु इन्सूलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिहवनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना।	03

नोट:-

1. टैंकरो की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, तथा मध्यप्रदेश में स्थित अन्य दुग्ध संयंत्रों एवं शीतकेन्द्रो से दुग्ध परिवहन हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है।
2. परिवहन कार्य सीमित समय सीमा के लिये हो सकता है।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास यह अधिकार रहेगा कि किसी भी काल खण्ड में परिवहन निविदा समाप्त कर सकते है।



शेड्यूल – 2

दुग्ध परिवहन हेतु ई-निविदा की सामान्य शर्तें एवं निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई-बहन को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। अतः निविदाकार को इस बावत् पृथक से नोटराइज्ड शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप संलग्न है।
2. संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लैक लिस्टेड परिवहनकर्ता को भी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार संतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिये अपात्र होंगे।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार के नाम का वाहन होना अनिवार्य है अर्थात् निविदाकर्ता के नाम या परिवार के आश्रित सदस्य जो व्यस्क हो के नाम से ही टैंकर का पंजीयन हो। वाहन के कागजात जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग (तकनीकी निविदा खुलने के समय) खोला नहीं जावेगी तथा ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी। परिवहनकर्ता को निविदा अनुबंध अवधि में ग्वालियर दुग्ध संघ से अनुबंधित टैंकर को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।
5. दर प्रस्तुतीकरण ऑनलाईन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. प्रतिभूति राशि रूपये 50000.00 (पचास हजार रूपये) ऑनलाईन जमा कर, की प्रति तकनीकी प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रतिभूति राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित सफल निविदाकार के लेखों में सुरक्षानिधि के रूप में समायोजित की जावेगी। सफल निविदाकार को रूपये 3,00,000/- (रु. तीन लाख मात्र) प्रति टैंकर की दर सुरक्षानिधि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में औपचारिकता पूर्णता के समय जमा कराया जाना आवश्यक है।
7. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुखत्यारनामा है। इस प्रकार उक्त

व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा।

8. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
9. निविदा स्वीकृत होन पर परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः तीन वर्ष की होगी। निविदा अवधि पूर्ण होने पर कार्य संतोष जनक होने एवं वाहन की स्थिति तथा इन्सूलेशन संतोषपद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक-एक वर्ष करके अनुबंध की अवधि में दो वर्ष की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जाए। करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे। (कुल पाँच वर्षों की अवधि के बाद किसी भी दशा में समय में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।)
10. संघ को अच्छी स्थिति के नये टैकरों की आवश्यकता है। वर्ष 2016 से पुराने वाहनों हेतु प्रस्तुत निविदा को आमान्य कर दिया जावेगा।
11. निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र में दर प्रस्तुत करना होगी। इस हेतु निविदा प्रपत्र रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
12. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा संघ को वांछित टैकर्स उपलब्ध न कराने की दशा में एल-1 निविदाकार के पक्ष में अनुमोदित न्यूनतम दर को आधार मानते हुये अन्य समस्त निविदाकारों (एल -2, एल-3) से न्यूनतम दर पर टैकर्स लिये जा सकेंगे। इस संबंध में न्यूनतम दर एल-1 निविदाकार की भविष्य में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
13. निविदा स्वीकृति करने के पश्चात् टैकर संचालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में जमा प्रतिभूर्ति राशि राजसात कर ली जावेगी।
14. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पाई जाने पर प्रतिभूर्ति एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।
15. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
ग्वालियर

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
न्यू डेयरी प्लांट, बानमौर

SCHEDULE-III

सफल स्वीकृत निविदाकार/परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्तें

- (1) निविदा अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, टोल टैक्स व अन्य सभी खर्चों के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
- (2) परिवहनकर्ता को टैंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लायसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
- (3) दुग्ध संयंत्रों से समस्त शीत केन्द्रों/डेयरी संयंत्रों की दूरियां सत्यापित की गई हैं, अथवा की जावेगी जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का कि.मी. अनुसार भुगतान किया जायेगा।
- (4) परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वाल्व बॉक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
- (5) परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर जी.पी.एस. सिस्टम सेन्सर के साथ लगाया जावेगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि जी.पी.एस. सिस्टम/सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़-छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) की राशि पेनाल्टी स्वरुप वसूली जावेगी एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात करते हुये अन्य वैधानिक कार्यवाहियों की जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

अथवा

संघ द्वारा निकट भविष्य में सभी टैंकर्स में परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखने हेतु मिल्क टैंकर्स को डिजिटल लॉक, जीपीएस सिस्टम एवं PH सेन्सर से जोड़ा जा रहा है। जिसमें डिजिटल लॉक एवं PH सेन्सर के फेब्रीकेशन हेतु दुग्ध बैरल में आवश्यकतानुसार परिवर्तन संघ द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निविदाकर्ता की सहमति मान्य मानी जावेगी। जिसकी इस्टॉलेशन एवं किराये पर लगभग राशि रु. 12500 प्रति माह का व्यय आने की संभावना है (राशि में परिवर्तन भी संभावित है)। उपरोक्त इस्टॉलेशन एवं किराया राशि परिवहनकर्ता के देयकों से समायोजित किया जायेगा।

- (6) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन अनिवार्य होगा।
- (7) दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्रों से दुग्ध टैंकर को भरकर उसका सैम्पल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तौल कर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर दुग्ध टैंकर को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सैम्पल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तदनुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर संबंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

परिवहनकर्ता के स्टॉफ का यह कर्तव्य होगा कि वह दूध से भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुंचायें एवं उसकी दूध की मात्रा, फ़ैट एवं एस.एन.एफ. में कोई अंतर न आवे। दूध की मात्रा, फ़ैट एवं एस.एन.एफ. में अंतर प्राप्त होने पर संघ को हुई हानि की शत-प्रतिशत वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लैक लिस्ट करते हुये उसके विरुद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी साथ ही उसे देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं देने बावत् सूचना तत्काल दे दी जावेगी।

- (8) यदि टैंकर पर लगी सील/चेम्बर्स के डिजिटल लॉकिंग सिस्टम हेतु की गई व्यवस्था, डिजिटल लॉक, वॉल्व बॉक्स में स्थापित किये जाने वाले PH सेंसर एवं जीपीएस सिस्टम में यदि कोई टेम्पेरिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा, फ़ैट एवं एस.एन.एफ. में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
- (9) परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहाँ न्यूनतम रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) का अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जायेगी।
- (10) दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिंग, लॉकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अंदर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।
- (11) परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा एवं समस्त क्षति का कटौती परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।
- (12) टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फ़ैट, एसएनएफ एवं दूध की मात्रा आदि हानि की वसूली की जायेगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
- (13) यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणाम स्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जायेगी।
- (14) परिवहनकर्ता स्टॉफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टॉफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रुकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को

अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉल्टिंग का रुपये 10,000/—(रु. दस हजार मात्र)का अर्थदंड लगेगा जिसका मिलान सिव्थोरिटी गेट के रजिस्टर से किया जायेगा। अगर रात्रि में टैंकर खाली होने की स्थिति नहीं होने पर टैंकर स्टॉफ संयंत्र परिसर के अंदर नहीं रुकेगा एवं टैंकर की चाबी सुरक्षा अधिकारी के पास जमा करनी होगी।

- (15) टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड़ पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 10 मिनट हेतु पूरे परिवहन काल में एक बार।
- (16) टैंकरों को क्षमता के अनुसार RTO से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध टैंक बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दषा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जायेगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट करते हुये थाने में एफआईआर दर्ज कराई जायेगी। जिसका संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
- (17) परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना-जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है। अतः तदनुसार नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- (18) संघ कार्यालय द्वारा टैंकरों की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
- (19) परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
- (20) दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा। जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
(अ)टैंकर के पीछे “दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।”
(ब) टैंकर के दोनों ओर “यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया
..... नंबर पर सूचित करें। (नंबर टेंडर फाइनल करने पर बताया जावेगा।)
- (21) समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगी।
- (22) नियमानुसारपरिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।

- (23) स्वीकृत निविदाकार परिवहनकर्ता को ग्वालियर दुग्ध संघ के साथ रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की सदस्यता रु. 100/- (रु. सौ मात्र) जमा कर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
- (24) न्यूनतम दर (L1) की गणना प्रति किलोग्राम दुग्ध परिवहन दर के आधार पर की जावेगी। प्राप्त न्यूनतम दर वर्तमान प्रचलित बाजार दर एवं दुग्ध संघ द्वारा आंकलित दर से अधिक पाये जाने पर नियमानुसार निगोशियेशन की कार्यवाही की जावेगी।
- (25) डीजल की दरों में वृद्धि व कमी होने पर परिवहन की दरों में समानुपातिक वृद्धि व कमी की जा सकती है।
- (26) वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जावेगी।
- (27) मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर दुग्ध संघ को यह पूर्ण अधिकार होगा कि ठेके की तीन वर्ष अवधि उपरांत एक-एक वर्ष क्रमशः समान दर एवं शर्तों पर आपसी सहमति से बढ़ा सकेंगे। ठेके की शर्तों तथा शासकीय अधिनियमों/नियमों की अवहेलना करने पर ठेके की अवधि में किसी भी समय ठेका निरस्त कर जमा की गई सुरक्षानिधि राजसात करने का संपूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास रहेगा।
- (28) स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होंगे।
- (29) परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक दण्ड रु. 5,00,000/- (रु. पांच लाख मात्र) के साथ-साथ संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर परिवहनकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संघ को हुई अन्य हानियाँ आपके देयकों से समायोजित की जावेगी।
- (30) परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जीपीएस लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (31) यह कि देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित तौर पर देयक प्रस्तुत करना होंगे एवं यदि संघ की वसूली योग्य राशि निकलती है तो सात दिवस में उक्त राशि संघ कार्यालय में जमा कराई जाना होगी। देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में टैंकर का संचालन रोकते हुये वाहन को संयंत्र परिसर में खड़ा रखा जावेगा तथा संघ परिसर में खड़े रखने

का रूपये 200/- (रूपये दो सौ मात्र) प्रतिदिन चार्ज जमा अमानत राशि से समायोजित किया जावेगा।

- (32) यह कि टैंकर में सील एवं लॉक करने के सभी पार्टस लगे हों ताकि टैंकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के पश्चात सील किया जा सके।
- (33) यह कि परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित द्वितीय श्रेणी शासकीय अधिकारी अथवा नजदीकी पुलिस थाने से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा महाप्रबंधक (सं.सं.) के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुंचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेयरी तक पहुंचाये, यह सामयिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
- (34) यह कि अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयक से उसके बाद जमा सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- (35) यह कि किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।
- (36) यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकारी आपसी सहमति से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** को होगा।
- (37) यह कि परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब होने पर उस ट्रिप हेतु रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
- (38) यह कि टैंकरों की मांग घटाई बढाई जा सकती है ऐसी स्थिति में टैंकर मांगे जाने पर 48 घंटे के अंदर टैंकर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। टैंकर प्रदाय न करने की स्थिति में संघ द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर होने वाले समस्त व्यय को द्वितीय पक्ष से वसूल किये जावेंगे।
- (39) यह कि परिवहनकर्ता को एक कांम्प्रीहेन्सिव बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा कि आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी न कि दुग्ध संघ की।
- (40) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एम.पी.सी.डी.एफ. को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर



ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

Gwalior Sahakari Dugdh Sangh Maryadit

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)



Office: Gola Ka Mandir, Residency Road, Gwalior – 474005, Phone: Office- 0751-2365523,2368107 Fax: 0751-2366981
Plant: Industrial Area, Banmore, Distt. Morena (M.P.) email: gwaliodairy@gmail.com

शेड्यूल – 4

तकनीकी विवरण

1. निविदाकार का नाम :
2. निविदाकार का पता :
3. फोन नं/मोबाइल नं. :
- (लगातार उपयोग होन वाला)
4. ई-मेल आई डी :
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार :
- (दस्तावेजो की छायाप्रति संलग्न करें)
6. रोड मिल्क टैंकर क्षमता :
7. आयकर पैन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें) :
8. किसी दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामित :
- नहीं किया है इस संबंध में शपथ पत्र रु. 100/-
- (नोटरी द्वारा सत्यापित)
9. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है :
- (दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र एवं अन्य दुग्ध संयंत्र)
10. जी.एस.टी नं. (छायाप्रति संलग्न करें) :
11. मॉडल तथा मेक :

निविदा फार्म में वर्णित ग्वालियर दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते पूर्णतः मान्य है।

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम—

मोबाइल नं.



ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

Gwalior Sahakari Dugdh Sangh Maryadit

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)



Office: Gola Ka Mandir, Residency Road, Gwalior – 474005, Phone: Office- 0751-2365523,2368107 Fax: 0751-2366981
Plant: Industrial Area, Banmore, Distt. Morena (M.P.) email: gwaljordairy@gmail.com

शेड्यूल – 5

दर प्रस्तीकरण पत्रक

(Rates Should be filled in this format)

Financial Bid (Upload Online Only)

क्रमांक	विवरण	टैंकर नियोजन संख्या	टैंकर की क्षमता	दर प्रति कि.मी. (समस्त टौल टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी एवं अंतराज्जीय एवं राज्जीय टैक्स शामिल करते हुए)
1	ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा संयंत्र कार्य हेतु अंतराज्जीय दुग्ध परिवहन हेतु इन्सूलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य	03	20000 कि.ग्राम	
			25000 कि.ग्राम	

नोट:- हाई स्पीड डीजल की वर्तमान दर दिनांक अनुसार परिवहन दर प्रस्तुत।

नाम-

हस्ताक्षर -

पता -

मोबाइल नं. -

AGREEMENT FOR HIRING OF ROAD MILK TANKER FOR THE TRANSPORTATION OF MILK

THIS AGREEMENT IS MADE THE DAY _____ between Gwalior Sahakari DugdhaSangh Maryadit, through its CHIFE EXECUTIVE OFFICER (hereinafter called, the FIRST PARTY, which expression shall, where the context be to include his successor in the office) And..... (herein after called the Transporter), Which expression shall, where the context so admit, includes his heirs, executors, successors and assignees on the SECOND PARTY.

WHEREAS THE Transporter has offered to provide _____ Nos. of Road Milk Tankers forthe transportation of Milk on hiring basis, vide his tender offer No. _____ - ___ after negotiations held on -----Dt.WHEREAS Gwalior Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, has adgreed to hire Insulated Road Milk Tanker for the Transportation of Milk in the State of Madhya Pradesh, the said article from the transporter/supplier, on the approved rates, which are as following :

S.NO	Capacity	Rates
1.		
2.		
3.		

Now therefore, the agreement witnesses and it is hereby agreed as following.

1. The approved rates shall be valid for two years from the date of approval of the rates and agreement shall be effected from date.
In case of price revision of diesel, the rate will be revised proportionately considering number of Kilometers limit.
2. The said article shall be providing milk as per dispatch schedule.
3. The terms and conditions are agreed as per the Complete tender.document.

Signature:

IInd party

Name _____

Address _____

Signature:

Ist party

CEO

Gwalior Sahakari Dugdha Sangh Maryadit

Gole ka Mandir, Gwalior – 474005

Witness:

- 1.
- 2.

Witness : -

- 1.
- 2.

वचन – पत्र

मैं आत्मज श्री आयु.....
निवासी ग्वालियर दुग्ध
संघ में कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं कि मेरा
ग्वालियर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/संचालक/दुग्ध संघके किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी से कोई
संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे
आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मनने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/ रहूंगी तथा इसके
विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम
पता
.....

सत्यापन

मैं उपरोक्त वर्णित वचनदाता सत्यापित करता हूं कि
उपरोक्त कथन पूर्णरूपेण सत्य होकर विश्वसनीय हैं।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम
पता
.....